

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एक 13(1) एक. डी. (रुल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसारण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिशंका सहित प्राप्त निम्नांकित व0अ10/कार्मिकों को आश्वासित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अधिकृत विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. / व.स. / सप्रअ. / पद पर कार्यप्रवण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-वे/ 2017 में आहरित डे-मै.	देय एसी एवं तिथि		वि०दि०
											दिनांक	ग्रेड वे/ वे मैट्रिक्स	
1	JITENDRA SINGH	PET-2	GSSS BHAGAL SETTA, BHINMAL	JALORE	03-11-1985	04-07-2013	04-07-2013	9	04-07-2022	L-11	04-07-2022	L-12	
2	OMPRAKASH GARG	S.A.	GSSS SANKAD, SARNAU	JALORE	05-02-1981	23-06-2004	01-04-2015	18	23-06-2022	L-08	23-06-2022	L-10	
3	BHEEM SINGH MEENA	PET-2	S.V.G.M. NADOTI KARAUJI	JALORE	01-07-1971	21-03-2013	21-03-2013	9	21-03-2022	L-11	21-03-2022	L-12	
4	POONMA RAM	PET-2	MGGs B. DHANI SANCHORE	JALORE	11-11-1985	10-07-2013	10-07-2013	9	10-07-2022	L-11	10-07-2022	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचारधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी सतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नोशनल लाभ की तिथि प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोद्भूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एक 16(2) एक.डी.रुल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि सदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेंगे।

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/ 452

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कायदाही हेतु भेजित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

दिनांक :- 29/07/2022

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ पी. 6. स्नातक पत्रावली

(श्याम सुन्दर सोलंकी)

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एक 13(1) एक. डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसार में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिशंका सहित प्राप्त निम्नांकित एअओ/कार्मिकों को आश्वसित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अधिकृत विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. / व.स. / सप्रास / पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाश्रयति (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-वे / 2017 में आहरित पे-ग्रेड	देय एसीपी एवं तिथि		किंकि
											दिनांक	ग्रेड पे / पे मैट्रिक्स	
1	MANULATA	S.A.	MGGSS KHAIRWA, PALI	PALI	28-05-1971	27-09-2003	13-12-2017	18	27-09-2021	L-08	27-09-2021	L-10	
2	GHEWARCHAN D TUSAWARA	SR. TEA.	GUPS UMKAL, ROHAT	PALI	04-07-1969	01-03-1995 R.P. 01-07-1995	03-11-2017	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
3	SANJAY KUMAR SHAMRA	SR. TEA.	GUPS POMAWA, SUMERPUR	PALI	22-04-1972	01-07-1995	18-11-2017	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
4	JAY SHREE RAJPUROHIT	S.A.	MGGSS KHUDALA, BALI	PALI	17-05-1980	07-03-2002	15-01-2018	18	07-03-2020	L-08	20-05-2022	L-10	वर्ष 2014-15 की डीपीसी में पदोन्नति परित्याग के कारण एसीपी देय तिथि आगे बढ़ाई गई।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रतियुक्त सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष स्तर पर लंबित/ विचारधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश/प्रमाणी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रमाणी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नोशनल लाभ की तिथि प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रमाणी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदेमूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रमाणी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक / क-2/अ.प्र./91 / दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक / क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एक 16(2) एक.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक निम्नप्रकार रहेंगे।

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/ 453

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

दिनांक :- 29/07/2022

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान / पी. 6. रक्षक पत्रावली

(स्थायी सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एक 13(1) एफ.डी. (रूलस) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिसंधा सहित प्राप्त निम्नांकित व030/कार्मिकों को आवश्यकित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थान स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. / व.स. / सप.अ. / पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवावधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-वे / 2017 में आहरित पे-बै.	देय एसपी एवं तिथि		विधि
											दिनांक	ग्रेड पे / पे मैट्रिक्स	
1	MOHAMMED ZAHID	PET-2	MGGS KHAIRWA, PALI	PALI	10-07-1983	01-07-2013	01-07-2013	9	01-07-2022	L-11	01-07-2022	L-12	
2	SUNITA GUPTA	SR. TEA.	GSSS SALI, PALI	PALI	02-03-1968	15-04-1995	22-12-2014	27	15-04-2022	L-12	15-04-2022	L-13	
3	RAM KISHOR RATHORE	SR. TEA.	GSSS NO.1 SOLAT CITY	PALI	22-11-1968	01-07-1995	26-09-2013	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
4	BAKHTAWAR SINGH	SR. TEA.	GSSS DHURASANI, SOLAT	PALI	09-12-1965	01-07-1995	04-07-2019	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
5	NARAYAN LAL	SR. TEA.	GSSS BALRAI, RANI	PALI	20-09-1969	07-01-1995 R.P.	29-04-2016	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
6	REWAT SINGH	SR. TEA.	GSSS DORNADI, SOLAT	PALI	01-07-1967	01-07-1995	26-04-2016	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरूद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लंबित/विवादाधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश-प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नेशनल लाभ की तिथि (प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनी है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ.डी.एफ.डी.रूलस 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि सदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।

कमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/

454

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

दिनांक :- 29/07/2022

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

(स्थायी सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान / पी. 6. रक्तक पत्रावली

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एक 13(1) एक.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसारण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिप्रेक्षा सहित प्राप्त निम्नांकित कठगठ/कार्मिकों को आह्वानित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क. सं	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. / व.स. / सप्रस / पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवावधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वे.मान 2008 में आहरित ग्रेड-वे / 2017 में आहरित वे-मै.	देय एसीपी एवं तिथि		विनिर्दिष्ट
											दिनांक	ग्रेड वे / वे मैट्रिक्स	
1	BHUPENDRA KUMAR PUROHIT	SR. TEA.	GSSS SWAROP GANJ, PINDWARA	SIROHI	23-07-1972	21-02-1995 R.P. 01-07-1995	29-04-2016	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
2	PRAKASH KUMAR	SR. TEA.	GSSS MALAP, PINDWARA	SIROHI	11-03-1982	10-01-2013	10-01-2013	9	10-01-2022	L-11	10-01-2022	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/विचारधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरे सेतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नौशनल लाभ की तिथि प्रथम नियुक्ति मानते हुए से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोद्भूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक / क-2/अ.प्र./91 / दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक / क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एक.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अति संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेंगे।

क्रमांक : स.वि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

दिनांक :- 29/07/2022

(श्याम सुन्दर सोलंकी)

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

प्रधानाचार्य

विषय :- एसीपी हेतु प्रेषित प्रकरण में आक्षेप निवारण कर भिजवाने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आपके अधिनस्थ कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों के एसीपी प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाये गये हैं, जिनमें बकाया वाकामू हेतु आक्षेप लगाये गये थे, किन्तु निम्नानुसार कार्मिकों के प्रेषित वाकामू में उनके नाम के सम्मुखा अंकितानुसार आक्षेप है जिनका निवारण करवा प्रस्तुत करें साथ ही सम्बन्धित संस्था प्रधान को नोटिस जारी कर प्रतिउत्तर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथी	आक्षेप
1	KAMLESH KUMAR DAVE	SR. TEA.	GSSS VERA JATPURA, SHEOGANJU	SIROHI	03-05-1970	1. सन्तान घोषणा पत्र सलंगन नहीं। 2. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित
2	PREM SINGH	PET-2	GSSS ATABARA, SOJAT	PALI	03-12-1983	1. सन्तान घोषणा पत्र सलंगन नहीं। 2. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित
3	RAJENDRA KUMAR KHAMRANA	SR. TEA.	GSSS VADERWAS, PALI	PALI	13-01-1971	1. व.अ. पद की डीपीसी 2008.09 की है अतः उच्च पद की डीपीसी/परित्याग की स्थिति स्पष्ट करें। 2. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित
4	SEEMA MARU	SR. TEA.	GSSS WASAN, REODAR	SIROHI	02-11-1966	1. स्थाईकरण 03.04.1995 से किया गया है प्रथम च.वे.मा. 01.07.2005 एवं 18 वर्ष एसीपी 03.04.2013 को पृथक पृथक तिथी से जारी किये गये हैं स्पष्ट करें। 2. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित
5	POONJA RAM GOYAL	SR. TEA.	M.G.G.S CHITALWANA	JALORE	01-06-1981	1. दिनांक 01.04.2022 से एसीपी चाहने का कारण स्पष्ट करें। 2. स्थाईकरण आदेश की स्पष्ट प्रति सलंगन करें। 3. पूर्व में स्वीकृत च.वे.मा. एवं एसीपी का अंकन नहीं किया गया है। 4. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित पूर्व में भी आक्षेपित किया गया था, यथास्थिति में ही पुनः भेजने का कारण स्पष्ट करें।
6	GANGA RAM BISHNOI	SR. TEA.	GSSS HOTHIGAON, CHITALWANA	JALORE	05-09-1969	1. प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण एवं पुनः नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट करें। 2. सन्तान घोषणा पत्र सलंगन करें। 3. वाकामू 14.15 से 19.20 तक ऑफलाई एवं 20.21 की ऑनलाईन अपेक्षित

प्रायः यह देखा गया है कि आप द्वारा प्रकरण की जांच किये बिना ही अग्रप्रेषित कर दिया जाता है जिसके कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावे।

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली